तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रूपचन्द बनाम राजस्थान सरकार** **अपील संख्याः–14/2017(जीसीएमएस नम्बर 2017/00037)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.03.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। उन्हे आवाज दिलवाई गई फिर भी अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में पुनः रूक–रूककर कई बार आवाजें दिलवाई गई। उसके उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण वर्ष 2017 से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 10 की तलबी में ही विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 13.07.2017 की पालना में अभी तक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 10 के रजिस्टर्ड नोटिस भी बार–बार अवसर देने के उपरान्त भी पेश नही किये गये और आज अपीलार्थीगण की ओर से न्यायालय हाजा के समक्ष कोई उपस्थित भी नही है जिससे विदित होता है कि अपीलार्थीगण प्रकरण को आगे चलाये रखे जाने के इच्छुक नही है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण या अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के पूर्व आदेश दिनांक 13.07.2017 की पालना नही किये जाने के कारण अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जाना न्यायोचित होगा अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण या अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के पूर्व आदेश दिनांक 13.07.2017 की पालना नही किये जाने के कारण अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। **(डॉ0 प्रवीण कुमार)** अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर।	